UPBP010013572026

न्यायालय-विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012) जनपद बलरामपुर (उ०प्र०)।

(पीठासीन अधिकारी-राहुल सिंह-II (एच०जे०एस०)आई०डी० क्रमांक-यू०पी०-1851)

आपराधिक प्रकीर्ण वाद सं०-51/2026
संस्थापन दिनांक-10.12.2025
सी०एन०आर० नं०-UPBP010013572026
पुलिस थाना-सादुल्लानगर
जनपद-बलरामपुर (उ०प्र०)

परिवादी (जिसका नाम एवं पता आवेदन पत्र में उल्लिखित है).....आवेदक

बनाम

राजकुमार आयु करीब 19 वर्ष पुत्र राजाराम हसन निवासी ग्राम नेवादा थाना सादुल्ला नगर जनपद बलरामपुर.....प्रस्तावित अभियुक्त

आदेश

(आज दिनांक-02.06.2026 को पारित)

उपस्थिति-

---

01. परिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अजय बहादुर सिंह उपस्थित। राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री पवन कुमार वर्मा उपस्थित

आवेदन परिचय

02. आवेदक/परिवादी द्वारा प्रस्तावित अभियुक्त के विरुद्ध धारा-173(4) बी०एन०एस०एस० के अंतर्गत आवेदन पत्र (दस्तावेज क्र०-3क) मय शपथ पत्र (दस्तावेज क्र०-4ख) प्रस्तुत कर आपराधिक मामला पंजीबद्ध कराने एवं उस पर विवेचना कराए जाने का आदेश पारित करने की याचना की गई है।

आवेदन पत्र के संक्षिप्त तथ्य

03. आवेदक/परिवादी द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तावित अभियुक्त के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी की नाबालिग पुत्री/ पीड़िता आयु करीब 16 वर्ष को दिनांक 11.04.2026 को गांव का ही राजकुमार पुत्र राजाराम बहला-फुसलाकर घर से भगा ले गया है। उसकी पुत्री अपने साथ मोबाइल फोन जिसका नं०-63XXXXXX00 है, ले गयी है पुत्री से बात किया गया तो बताया कि राजकुमार उसे बगलौर ले आया है। शादी कर लिया है, कमरे में बंद रखता है व रोज-रोज जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाता है राजकुमार का मोबाइल नं०- 9214XXXX42 है इस संबंध में प्रार्थी ने थाना सादुल्लानगर में प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। तब प्रार्थी ने तहसील दिवस उतरौला में घटना के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कोई कार्यवाही न होने पर पुलिस अधीक्षक, बलरामपुर को व्यक्तिगत व जरिए रजिस्ट्री प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। दिनांक 06.05.2026 को रात्रि में थाना सादुल्लानगर की पुलिस ने प्रार्थी को फोन किया और कहा कि लड़का व लड़की दोनों बरामद हो गए हैं, थाने पर चले आओ।

04. आवेदक/परिवादी द्वारा आवेदन पत्र में आगे यह भी लेख कराया गया है कि प्रार्थी थाने पर रात्रि करीब 10.00 बजे पहुँचा तो लड़के राजकुमार को छोड़ दिया गया व लड़की को प्रार्थी के साथ घर भेज दिया गया। प्रार्थी की लड़की को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जिससे वह काफी डरी व सहमी है। जब प्रार्थी ने अपने दिए गए तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज करने की बात कही तो थाने से प्रार्थी को भगा दिया गया व प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने से इंकार कर दिया गया। अंततः विवश होकर आवेदक द्वारा न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रस्तावित अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर नियमानुसार विवेचना किये जाने का आदेश देने की याचना की गई है।

05. आवेदक की ओर से आवेदन पत्र के समर्थन में मूल रजिस्ट्री रशीद, पुलिस अधीक्षक, बलरामपुर व प्रभारी निरीक्षक, तहसील दिवस में दिये गये आवेदन पत्र की छायाप्रति, पीड़िता व अपने आधार कार्ड तथा पीड़िता के हाईस्कूल अंकपत्र की की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है।

<u>न्यायालय द्वारा कृत कार्यवाही</u>

06. आवेदन पत्र प्रस्तुत होने के उपरान्त पुलिस थाना-सादुल्लानगर जनपद बलरामपुर (उ०प्र०) को आवेदन पत्र में उल्लिखित तथ्यों के संबंध में पुलिस आख्या प्रस्तुत करने बावत पत्र इस आशय का निर्गत किया गया कि यदि प्रस्तावित

अभियुक्त के विरूद्ध कोई दाण्डिक मामला पुलिस थाना में पंजीकृत किया गया हो तो उसकी सूचना तत्काल लौटती डाक से इस न्यायालय को प्रेषित किया जावे।

07. पुलिस थाना-सादुल्लानगर जनपद बलरामपुर द्वारा आख्या दिनांकित 17.05.2026 इस आशय की प्रस्तुत की गई है कि प्रार्थी/परिवादी एवं विपक्षी राजकुमार पुत्र राजाराम नि० ग्राम उपरोक्त के सम्बन्ध मे जाँच से यह तथ्य प्रकाश में आया कि उपरोक्त दोनों एक ही ग्राम के निवासी होने के कारण प्रार्थी व विपक्षी के मध्य आपसी/चुनावी रंजिश के फलस्वरुप दोनो पक्षों मे विवाद है और इसी आपसी विवाद और तनाव के कारण ही प्रार्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, साथ ही थाना स्थानीय के अपराध रजिस्टर, सीसीटीएनएस पोर्टल व अन्य शासकीय अभिलेखों के परीक्षण से यह भी स्पष्ट होता है कि उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर पूर्व से कोई भी अभियोग पंजीकृत नहीं है। जहाँ तक न्यायालय द्वारा सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विगत 02 माह से थाना स्थानीय के सीसीटीवी कैमरे में अपरिहार्य तकनीकी खराबी आ जाने के कारण उक्त समय की रिकार्डिंग सुरक्षित नहीं हो सकी और तकनीकी व्यवधान के चलते फुटेज का अवलोकन/परीक्षण किया जाना सम्भव नहीं हो सका है।

<u>आवेदक अधिवक्ता के तर्क</u>

08. आवेदक/परिवादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र में उल्लिखित तथ्य का समर्थन करते हुए आवेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तावित अभियुक्त द्वारा संज्ञेय प्रकृति का अपराध कारित किया गया है, जिसके संबंध में प्र०सू०रि० पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना कराया जाना आवश्यक है, अतः मामला पंजीबद्ध किए जाने की याचना आवेदिका की ओर से की गई है।

<u>आवेदन पत्र के संबंध में न्यायालयीन अभिमत</u>

09. पत्रावली आज आदेश पारित करने हेतु नियत है। उभयपक्ष के तर्कों का श्रवण पूर्व में किया जा चुका है। आवेदन पत्र के संबंध में आवेदक अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्क का श्रवण किया। पुलिस थाना-सादुल्लानगर, जनपद बलरामपुर द्वारा प्रस्तुत आख्या आवेदन पत्र मय प्रस्तुत दस्तावेज का सूक्ष्म एवं गंभीरतापूर्वक परिशीलन किया गया।

10. पत्रावली में संलग्न समस्त आवश्यक प्रपत्रों के सम्यक अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी/आवेदक द्वारा अपनी पुत्री की आयु के सम्बन्ध में

पीड़िता के हाईस्कूल के अंकपत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है, जिसमें पीड़िता की जन्मतिथि दिनांक 08.12.2009 अंकित है, जिसके आधार पर देखा जाए तो पीड़िता घटना दिनांक 11.04.2026 को 16 वर्ष 04 माह 03 दिन की एक अवयस्क बालिका होना प्रतीत होती है। अभिलेख से यह प्रकट हुआ है कि प्रस्तावित अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक को पीड़िता जो कि 18 वर्ष से कम आयु की एक अवयस्क बालिका थी, उसे विवाह करने अथवा अयुक्त सम्भोग करने हेतु विवश करके उसके विधिक संरक्षक की संरक्षकता से जबरन व्यपहृत करके बैंगलोर ले जाया गया और पीड़िता के साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध जबरन बारम्बार बलात्कार किया गया। हालांकि पुलिस आख्या से उभय पक्ष के मध्य आपसी/चुनावी रंजिश के कारण उत्पन्न हुए विवाद और तनाव के कारण यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का तथ्य उजागर हुआ है, किन्तु उक्त आख्या में यह कहीं भी दर्शित नहीं किया गया है कि किस चुनाव को लेकर उभयपक्ष के मध्य रंजिश थी तथा उभयपक्ष किसी राजनैतिक दल के सदस्य हैं अथवा नहीं। प्रस्तावित अभियुक्त द्वारा कारित अपराध जघन्य अपराध की श्रेणी में आने वाला अपराध है। उपरोक्त के अलावा प्रस्तावित अभियुक्त का कृत्य गम्भीर प्रकृति का होकर संज्ञेय मामला किये जाने को निर्मित करता है, फलतः आवेदक/परिवादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

1. आवेदक/परिवादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांकित 11.05.2026 अंतर्गत धारा-173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाता है। थाना प्रभारी सादुल्लानगर, जनपद बलरामपुर (उ०प्र०) को आदेशित किया जाता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में समुचित धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर नियमानुसार अनुसंधान कार्यवाही संपन्न करें तथा पंजीबद्ध की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सात दिवस के भीतर इस न्यायालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

2. प्रकरण दर्ज करने के पश्चात विवेचना करने वाले अधिकारी को यह भी आदेशित किया जाता है कि पीड़िता एवं अन्य साक्षीगण के पुलिस कथन जरिए दृश्य एवं श्रृव्य माध्यम से अंकित किये जाएं।

दिनांक-02.06.2026

(राहुल सिंह-II)
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) एक्ट,
बलरामपुर (उ०प्र०)
J.O.Code-UP1851

Digitally signed by RAHUL SINGH
Date: 2026.06.02 12:41:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court